प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 29.04.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता श्रीभवन राजभर पुत्र स्व0 लालबिहारी राजभर निवासी शंकर जसोवर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को बढया बाग स्थित पान की दुकान से 01 किलो अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर आज दिनाँक 29.04.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्रीभवन राजभर पुत्र स्व0 लालबिहारी राजभर निवासी शंकर जसोवर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0स0 159/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
01 किलो अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री जयहिन्द भारती चौकी प्रभारी मुखलिसपुर, हे0का0 शम्स तबरेज, हे0का0 आनन्द दूबे, हे0का0 श्रीकान्त यादव व का0 अरविन्द यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 450 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता दूधनाथ पुत्र जोगी निवासी वाहडीलवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जमुअरिया कला ढलनिया पुल से 450 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर आज दिनाँक 29.04.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दूधनाथ पुत्र जोगी निवासी वाहडीलवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0स0 173/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
450 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह ,का0 अनुराग सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा नीलगाय द्वारा टक्कर मार देने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डुहिया पुल से कालर द्वारा बारात से वापस आते समय नीलगाय द्वारा टक्कर मार देने के कारण दुर्घटना में 01 व्यक्ति (1. रामबचन साहनी पुत्र स्व0 रामसूरत साहनी उम्र 36 वर्ष सा0 शाहपट्टी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) में सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 देवेन्द्र कुमार, आ0 संतोष यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 183 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 183 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिक के साथ आपराधिक बल प्रयोग के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 29.04.2026 को माननीय न्यायालय ए0ए0जे0/एस0पी0जे0 पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त नाम पता जहीर पुत्र अनवर अली निवासी जंगल दशहर थाना बखिरा जनपद संतकबीरगनर के विरुद्ध वादिनी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर छेड़खानी करने, गाली गलौज करने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । निरीक्षक श्री अनिल कुमार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 038/2018 धारा 354ख, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त जहीर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354ख, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है । दोषसिद्ध अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 354ख भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा ।